

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, (प्रशासन) बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :- श्री ए.एच. गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 24/2020

GCMS No. 2020/00092

श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

-: बनाम :-

श्री रामस्वरुव पुत्र श्री नेहनूराम जाति जाट, ग्राम जेगला तहसील नोखा जिला बीकानेर (विक्रेता मालिक) मैसर्स चौधरी दूध भण्डार ज्यागी वाटिका, जैल वैल, बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से - श्री महेश कुमार शर्मा, खा.सु.अ.
2. अप्रार्थी की ओर से - अप्रार्थी स्वयं

: निर्णय :

दिनांक:- 28.09.2020

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री महेश कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 12.02.2020 को अप्रार्थीपक्ष श्री रामस्वरुव पुत्र श्री नेहनूराम जाति जाट, ग्राम जेगला तहसील नोखा जिला बीकानेर (विक्रेता मालिक) मैसर्स चौधरी दूध भण्डार ज्यागी वाटिका, जैल वैल, बीकानेर के यहां दुकान का निरीक्षण के दौरान एक स्टील की टंकी में लगभग 20 लीटर गाय का दूध आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुआ था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त टंकी में से दो लीटर गाय का दूध नमूना संग्रह हेतु क्रय कर उनके द्वारा बताये अनुसार मूल्य 80/- रुपये प्रार्थीद्वारा विक्रेता श्री रामस्वरुव को नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी, गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। तदन्तर उक्त दूध को चार बराबर-बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी एवं खाली शिशियों में डाला एवं प्रत्येक जारों में 40-40 बूंदे फॉर्मिलिन की डालकर, इन चारों नमूना शिशियों को ढक्कन से एयर टाइट बंद किया। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में चार लेबल तैयार किये गये, जिस पर कोड एवं क्रमांक जे-1757 लिखा व अन्य विवरण अंकित किया गया तथा प्रत्येक नमूने शिशियों को नियमानुसार चपड़ी से सीलबन्द एवं मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर, सुनाकर, समझाकर एवं सही मानकर विक्रेता एवं गवाहान ने हस्ताक्षर किये एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर किया। उक्त सीलबन्द शिशियों में से एक सीलबन्द शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से दिनांक 26.02.2020 को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें गाय का दूध सब-स्टेण्डर्ड का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा गाय का दूध सब-स्टेण्डर्ड स्तर का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आकर जवाब प्रस्तुत किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

॥
अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

3. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि इस मामले में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से गाय का दूध का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जन विश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक एलएस/268/एक्ट/2020/331 दिनांक 26.02.2020 के अनुसार इस मामले में Milk Fat Min. 3.2% की तुलना में 4.0% एवं Milk solids not fat Min.=8.3% की तुलना में 7.63% पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां गाय का दूध सब-स्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (II) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह भी निवेदन किया है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।
4. अप्रार्थी पक्ष ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी ने गाय के दूध में किसी भी तरह की मिलावट नहीं की है तथा ना ही भविष्य में किसी प्रकार की मिलावट करेगा। सहवन से गाय का दूध सब-स्टेण्डर्ड पाया गया है। जो दूध सहवन ऐसा हो गया है। प्रार्थी ने जानबूझकर नहीं किया है। अतः सहवन से हुई त्रुटि को प्रार्थी को क्षमा करार दिया जावे। भविष्य में प्रार्थी किसी प्रकार की गलती नहीं करेगा।
5. हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के कथनों पर मनन किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है। पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिपोर्ट क्रमांक एलएस/268/एक्ट/2020/331 दिनांक 26.02.2020 संलग्न है। इस रिपोर्ट में अप्रार्थी के यहां पाया गया दूध Milk Fat Min. 3.2% की तुलना में 4.0% एवं Milk solids not fat Min.=8.3% की तुलना में 7.63% का पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं होने के कारण सब-स्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सब-स्टेण्डर्ड का दूध विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)(II) का उल्लंघन किया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 के तहत 30,000/- (अखरे रूपये तीस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है।
6. अप्रार्थी को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमी की अनुज्ञारित निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 28.09.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थी पक्ष को जरिये रजिस्टर्ड डाक पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।



(ए.रुच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलेक्टर (प्रशा.) बीकानेर
(प्रशासन), बीकानेर